

न्यायालय :- सुरेश कुमार चौबे, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिला-होशंगाबाद, म0प्र0

// सूचना पत्र //

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा जारी एडवाईजरी/निर्देश क्रमांक- 345/आर.जी./2020 दिनांक 17/03/2020 एवं एडवाईजरी दिनांक 20.03.2020 के अनुसार दिनांक 31.03.2020 तक कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को देखते हुए केवल अत्यन्त आवश्यक प्रकृति के मामलों में जैसे जमानत आवेदन और स्टे/अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्रों की सुनवाई की जाना है। शेष समस्त प्रकरणों को उक्त अवधि में स्थगित रखे जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है जिसके पालन में आज दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक के लिये नियत समस्त व्यवहार/आपराधिक प्रकरणों को पूर्व प्रक्रम पर ही निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किये जा रहे हैं :-

सरल क्रमांक	नियम दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	20/03/2020	15/04/2020
02	21/03/2020	17/04/2020
03	23/03/2020	20/04/2020
04	24/03/2020	21/04/2020
05	26/03/2020	22/04/2020
06	27/03/2020	23/04/2020
07	28/03/2020	24/04/2020
08	30/03/2020	25/04/2020
09	31/03/2020	27/04/2020

सही/-

**सुरेश कुमार चौबे**

विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिला-होशंगाबाद

प्रतिलिपि :-

01. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. अधीक्षक केन्द्रीय जेल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि वे उक्त कॉलम नम्बर-2 में वर्णित पेशी दिनाकों के वारंट/ अभियुक्त को कॉलम नम्बर-03 में वर्णित नियत दिनाकों को न्यायालय में पेश करें।
04. सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय होशंगाबाद की ओर उक्त सूचना पत्र न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने बावत प्रेषित।
05. न्यायालय के सूचना-पटल पर चस्पा हेतु।

**सुरेश कुमार चौबे**

विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिला-होशंगाबाद

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, होशंगाबाद (म.प्र.)